भिलाई निगम सीमा क्षेत्र में पशुवध गृह एवं मांस विक्रय केन्द्र बंद रहेगी

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, भिलाई सीमा के अन्तर्गत संचालित पशुवध गृह एवं समस्त मांस विक्रय की दुकानें इस दिन बंद रहेगी। शासन से जारी आदेश के तहत बुद्व पूर्णिमा 12.05.2025 दिन सोमवार को समस्त पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्र को बंद रखा जाएगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। कोई भी विकेमा उल्लंघन करते हुए पाया गया तो अर्थदण्ड लगाते हुए जप्ती की कार्यवाही जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता एवं केता की होगी।